सर्वोच्च प्राथमिकता / समयबद्ध

संख्या 2470 / 66—04—227 / 2004

प्रेषक,

श्री नागेश्वर नाथ उपाध्याय
प्रमुख सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

प्रेष्य,

1— प्रमुख सचिव / सचिव
लोक निर्माण, पंचायती राज, लघु सिंचाई, ग्राम्य विकास, विकलांग कल्याण, राजस्व, परिवार कल्याण, समाज कल्याण, महिला कल्याण तथा बेसिक शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।

2— समस्त मण्डलायुक्त, उ0प्र0।

3— समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0।

अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग   लखनऊ : दिनांक : 18 जनवरी, 2005

विषय :— प्रदेश में समग्र ग्राम्य विकास योजना लागू किया जाना।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या 1996 / 66—2003 दिनांक 9 दिसम्बर, 2003 के अनुक्रम मे मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा वित्तीय वर्ष 2005—06 में भी इस योजना को जारी रखने का निर्णय लिया गया है।

2— वित्तीय वर्ष 2005—06 के लिये चयनित गॉवों की सूची दिनांक 15 फरवरी, 2005 तक अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग को उपलब्ध करायी जायेगी तथा संतृप्तीकरण के उद्देश्य से सम्बन्धित कार्यदायी विभाग द्वारा अपने—अपने कार्यक्रम / कार्यक्रमों की कार्ययोजना बनायी जायेगी जिनके अन्तर्गत कार्यक्रम के सफल कार्यान्वयन की विस्तृत रणनीति परिभाषित होगी। तत्पश्चात् जिलाधिकारी द्वारा समस्त कार्यक्रमों की एक सकल कार्ययोजना बनायी जायेगी जिसकी एक प्रति 15 मार्च, 2005 तक प्रत्येक दशा में अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग को उपलब्ध कराने की व्यवस्था सुनिश्चित की जायेगी। कार्ययोजना पूर्व निर्धारित रूपपत्रों में वर्ष परिवर्तन कर उसी रूपपत्रों पर भेजी जायेगी।

3— कार्ययोजना बनाने के लिये जिलाधिकारी तथा मुख्य विकास अधिकारी पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे तथा सम्बन्धित कार्यदायी विभाग योजना के विभिन्न कार्यक्रमों के जनपद स्तर पर गुणवत्तायुक्त कार्यान्वयन हेतु कार्यदायी विभाग होंगे।

4— वित्तीय वर्ष 2005—06 की कार्ययोजना के कार्यान्वयन हेतु वित्त पोषण की व्यवस्था सुनिश्चित कराने का उत्तरदायित्व कार्यदायी विभाग का होगा।

....2

5— **वर्ष** 2005—06 के लिये चयनित समग्र विकास ग्रामों का संतृप्तीकरण 1 अप्रैल, 2005 से **प्रारम्भ** किया जायेगा और समस्त कार्यक्रमों से चयनित ग्रामों को एक वर्ष में संतृप्त किया जायेगा।

6— उक्त योजना के कियान्वयन हेतु अम्बेडकर ग्राम विकास विभाग द्वारा समय—समय पर निर्गत शासनादेश इस वित्तीय वर्ष के लिये भी लागू माने जायेंगे।

भवदीय,

(नागेश्वर नाथ उपाध्याय)
प्रमुख सचिव

पृष्ठांकन संख्या (1)/ तददिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :—

1— मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन
2— कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन
3— प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री जी, उ0प्र0शासन
4— प्रमुख सचिव, वित्त/ नियोजन विभाग, उत्तर प्रदेश शासन
5— समस्त संयुक्त/ उप विकास आयुक्त, उत्तर प्रदेश
6— समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश

(नागेश्वर नाथ उपाध्याय)
प्रमुख सचिव